

DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288 E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

REF: DSIL/2025-26/081 July 09, 2025

Corporate Relationship Department

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Fax: 22723 2082 /3132

National Stock Exchange of India Limited

"Exchange Plaza"

Bandra - Kurla Complex,

Bandra [E], Mumbai - 400 051

Scrip Code - 532610

Scrip Code - DWARKESH

<u>Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 - Fatal Accident and Compounding of Offence under Factories Act</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III, Part A, Para B of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you of the following:

A fatal accident occurred in the DN Boiling House of our factory at Dwarikesh Nagar, Tehsil Nagina, District Bijnor, Uttar Pradesh, where Mr. Tejpal Singh, serving as Head Fitter, suffered critical burn injuries due to the sudden detachment of the bottom of one Semikeshner vessel. This incident caused the release of a large volume of hot water. Despite medical efforts, Mr. Singh unfortunately succumbed to his injuries.

An inspection was carried out by the Assistant Director of Factories, who, through his inspection note, held the company liable under Section 31(2) read with Rule 56 of the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950.

On the recommendation of the Assistant Director of Factories, the Chief Director, Uttar Pradesh, passed an order dated 8th July 2025, allowing the offence to be compounded, considering it was the company's first such offence under the Factories Act. A total penalty of ₹2,00,000 (₹1,00,000 each on the Occupier and Factory Manager) was imposed, and the payment has been duly made to the Government Treasury on 9th July 2025 via Transaction ID SRM250002626. Acknowledgment of the payment is available as enclosed.

Materiality Justification:

Although the financial impact is not material, the event is being disclosed owing to its regulatory, operational, and reputational significance. The company considers this disclosure appropriate in adherence to Regulation 30 and in the spirit of good governance.



DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288 E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

Further, the company has initiated a comprehensive internal safety audit and is implementing preventive and corrective measures across all factory units to avoid recurrence of such incidents.

This is for your information and record.

Thanking you, Yours faithfully

B. J. Maheshwari

Managing Director & CS cum CCO (DIN: 00002075)

Encl: As above.



DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288 E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

Annexure - A

Disclosure as per Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Particulars	Details	
Name of the authority(s)	Chief Director, Uttar Pradesh (on recommendation of	
	Assistant Director, Factories)	
Nature and details of the action(s) taken or orders	Compounding of offence under Section 31(2) read with	
passed	Rule 56 of the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 due	
	to a fatal accident. Penalty of ₹2,00,000/- imposed	
	(₹1,00,000 each on the Occupier and Factory Manager).	
Date of receipt of direction or order, including any	July 8, 2025	
ad-interim or interim orders, or any other		
communication from the authority		
Details of the violation(s)/contravention(s)	Regulatory non-compliance under the Factories Act	
committed or alleged to be committed	due to a fatal accident, caused by mechanical failure in	
	the DN Boiling House, resulting in death of a factory	
	employee.	
Impact on financial, operational or other activities of	No material financial impact. The penalty amount of	
the listed entity, quantifiable in monetary terms to	₹2,00,000 has been paid. However, the incident has	
the extent possible	regulatory and reputational significance. Preventive	
	measures and internal safety audits have been initiated.	

कार्यालय-निदेशक कारखाना, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र राख्या 1437

एफ / आई0ई0 / राघा0 दुर्घ0 / कम्पाउण्डिंग /

दिनॉक-08-07-2025

ः आदेशः

कारखाना मेसर्स द्रारिकेश शुगर एण्ड इण्डिस्ट्रिज लिं0, (द्रारिकेश नगर) युन्दकी तहसील नगीना, जिला बिजनौर में दिनांक 15 03 2025 को कर्मकार श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह, हेड फिट्र के साथ घटित संघातक दुर्घटना की जॉब श्री सुरेन्द्र बहादुर, सहायक निदेशक कारखाना, विजनौर एव सुश्री प्रीति सांग, श्रग प्रवर्तन अधिकारी द्रारा सयुक्त रूप से दिनांक 11.04 2025 को की गयी थी। दुर्घटना के सम्बन्ध में किये गये निरीक्षण में सहायक निदेशक कारखाना के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 एवं उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली 1950 के अन्तर्गत धारा 31(2) सहपठित नियम 56 के उपनियम (3) व उप नियम (4) के उल्लंधन कारखाने में प्रथम बार पाये जाने का प्रमाण पन्न संलग्न कर कम्पाउण्डिंग की संस्तुति करते हुए उप निदेशक कारखाना, मेरठ को प्रेपित किया है व उक्त की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक कारखाना, उ०प्र०, मुख्यालय को पृण्डांकित की है।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–106 ए "उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन" के अन्तर्गत ऐसे उल्लंघन जो प्रथम वार पाये गये हैं, उन पर शमन (कम्पाउण्डिंग) किये जाने का प्राविधान हैं। इस सबंध में उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या—08/2020/ 429/36—3–2020—132(सा0)/2019, दिनांक 20 मार्च, 2020 में प्रदेश के कारखानों में कारखाना अधिनियम—1948 एवं उ0प्र0 कारखाना नियमावली—1950 के प्राविधानों के प्रथम वार उल्लंघन होने की दशा में केवल जुर्माना द्वारा प्रासक्यूशन के पहले या बाद में (Before or after the institution of the prosecution) कम्पाउण्ड ऑफ आफसेस को कियान्वित किए जाने की प्रक्रिया जुर्माने की धनराश की चैप्टरवार अनुसूची तथा कम्पाउण्डिंग प्रधिकारी हेतु प्रक्रिया को स्थापित किया गया है। इस कम्पाउण्डिंग कार्य हेतु अधिसूचना दिनाक 20 मार्च 2020 द्वारा अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी घोषित किया गया है।

कारखाना मेसर्स द्वारिकेश शुगर एण्ड इण्डिस्ट्रिज लि०, (द्वारिकेश नगर) वुन्दकी तहसील नगीना, जिला विजनीर में दिनांक 15 03 2025 को घटित संघातक दुर्घटना के पिरप्रेक्ष्य में कारखना अधिष्ठाता— श्री विजय एस० वंका पर कारखाना अधिनियम, 1948 सहपठित उ०प्र० कारखाना नियमावली—1950 के चैप्टर—IV के अन्तर्गत धारा 31(2) सहपठित नियम 56 के उपनियम (3) व उप नियम (4) के उल्लंघन हेतु जुर्माना रू० 1,00000/—(रूपया एक लाख मात्र) एवं कारखाना प्रबंधक श्री सुन्दर लाल पर चैप्टर—IV के अन्तर्गत धारा 31(2) सहपठित नियम 56 के उपनियम (3) व उप नियम (4) के उल्लंघन हेतु जुर्माना रू० 1,00000/—(रूपया एक लाख मात्र) अधिरोपित किये जुर्माना रू० 1,00000/—(रूपया एक लाख मात्र) इस प्रकार कुल रूपया 2,00000/— (रूपया दो लाख मात्र) अधिरोपित किये जाने के आदेश कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी /श्रम आयुवत, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 07.07 2025 को दिये गये हैं। अधिरोपित की गयी धनराशि को निम्न लेखा शीर्षक में तुरन्त जमा करा दिया जाये:—

मुख्य लेखा शीर्षक	:	0230 श्रम तथा रोजगार
उपमुख्य शीर्षक	2—	00
लघु–शीर्षक	-	104 फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत उगाही शुल्क
उप–शीर्षक	<u>-</u>	01 फेक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत उगाही शुल्क
ब्योरेवार शीर्पक	1:	00

कारखाना मेसर्स द्वारिकेश शुगर एण्ड इण्डिस्ट्रिज लि०, (द्वारिकेश नगर) वुन्दकी तहरील नगीना, जिला बिजनौर के पत्र दिनांक 30 04 2025 व 03 06 2025 के द्वारा कम्पाडिण्डिंग हेतु प्रस्तुत किए गये अनुरोध के दृष्टिगत उक्त आदेश निर्गत किया गया है। यदि अधिरोपित धनरिश को तत्काल जमा नहीं किया जाता है, तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार प्रामियोजनात्मक कार्यवाही अपनायी जायेगी।

(संदीप कुमार गुप्ता) मुख्य निरीक्षक कारखाना, उ०प्र० कृते कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी/श्रम आयुक्त, उ०प्र०

पत्र संख्या १५३७(१-११)एफ/आई०ई०/संघा०दुर्घ०/कम्पाउण्डिग/

दिनॉक:-08-07-2029

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिष्ठाता— श्री विजय एस० बंका एवं प्रबंधक— श्री सुन्दर लाल, मेसर्स द्रारिकेश शुगर एण्ड इण्डस्ट्रिज लि०, (द्रारिकेश नगर) बुन्दकी तहसील नगीना, जिला बिजनीर को इस निर्देश के साथ निर्गत कि वह इस आदेश का पालन करते हुए जुर्माना राशि तुरन्त जमा कर दे एव इसकी सूचना को क्षेत्रीय सहायक निर्देशक कारखाना, उ०प्र०, विजनौर को उपलब्ध करायें।

2. श्री सुरेन्द्र वहादुर, सहायक निदेशक कारखाना, विजनीर को उनके पत्र संख्या 163 एडीएफ / संघाठदुर्घ०जांच दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेपित कि जुर्माना राशि तुरन्त जमा कराना सुनिश्चित करें और यदि अधिरोपित धनराशि जमा न की जाये तो प्रकरण के कालतिरोहित से पूर्व सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर किए जाने की कार्यवाही आप द्वारा सुनिश्चित की जाए।

Digitally signed by

3. उप निदेशक कारखाना, मेरठ संभाग, मेरठ को सूचनार्थ।

SANDEEP KUMAR GUPTA Date: 08-07-2025 13:1,9400 कुमार गुप्ता) मुख्य निरीक्षक कारखाना, उ०प्र०, कृते कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी/श्रम आयुक्त, उ०प्र० 7/9/25, 12:07 PM Untitled Page

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)
(श्रम तथा रोजगार विभाग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: SRM250002626	Transaction Date:09/07/2025
Assessment Year: 2025-2026	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	09AABCD8192N1Z0
Depositor Name:	Dwarikesh Sugar Industries Limited
Depositor Address:	Dwarikesh Nagar Tehsil Nagina District Bijnor 246762

Head Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
023000104010000फ़ैक्ट्ररी अधिनियम के अन्तर्गत उगाही शुल्क	4	200000.00
Totals of the above heads		200000.00

A SUM OF Rs. 200000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks->Compounding under factory act)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS: CPAFIUJYZO, Scroll Date:-NA Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAFIUJYZO for status of the deposit.